न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 64/2018 **अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री रामप्रसाद शर्मा निवासी कांवलास तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा
—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :— अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 05.09.2018

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाडा के विरूद्ध दिनांक 31.07.2018 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 40 एफ 926577 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 29.06.2018 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाडा को जरिये डाक प्रेषित किया गया। किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 29.06.2018 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 06.08.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाडा के पत्रांक 4842 दिनांक 29.08.2018 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी को सूचना जरिये डाक पत्रांक 4703 दिनांक 31.07.2018 प्रेषित किए जाने की प्रति संलग्न है। अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रत्यर्थी को दिनांक 29.06.2018 को प्रेषित किया। इस आवेदन पत्र की सूचना प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात दिनांक 31.07.2018 को जरिए डाक प्रेषित की गई। प्रत्यर्थी को भविष्य में समय पर सूचना देने हेतु पाबंद किया जाता है।

अतएव अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा वांछित सूचना प्रेषित कर दिए जाने से अपील प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एव प्रत्यर्थी को प्रेषित की जावें।

आदेश आज दिनांक 05.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

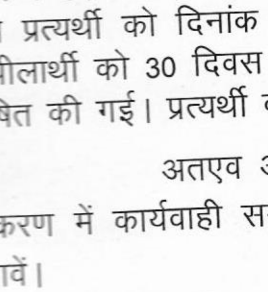

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा